न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 08 / 2021

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र जीता उम्र 55 साल जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी जाखड़ो की बास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 विनय कुमार जांनू पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 04 जीत नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 विजेन्द्र मूण्ड पुत्र नौरंगराम मूण्ड जाति जाट निवासी चौधरी मार्केट मूण्ड भवन वार्ड नम्बर 12 टोड़ी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 उम्मेद पुत्र माला
5 किस्तुरी पत्नी माला
6 सरदार सिंह पुत्र पोकर
7 सुभाष पुत्र पोकर
8 कैलाश पुत्र पोकर
9 किस्तुरी पत्नी पोकर
10 विनिता देवी पत्नी मनीराम
समस्त जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।
11 सुनिता पुत्री मनीराम जरिये नाबालिग संरक्षक माता विनिता देवी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.। दौराने दावा मृत्यु

12/1 पिंकी पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

12/2 गौतम पुत्र सरेन्द्र सिंह

12/3 पुनीत पुत्र सुरेन्द्र सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता पिंकी पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

13 राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर

14 सिणगारी पत्नी रामेश्वर

15 सलोचना पुत्री रामेश्वर

16 प्रकाश पुत्र जीता

17 धन्नी पत्नी जीता फौत

17/1 मणी पुत्री धन्नी व जीता

17/2 भागोती पुत्री धन्ना व जीता

18 मनोहरी पत्नी रणवीर

19 विकास पुत्र रणवीर

20 सुमन पुत्री रणवीर

21 प्रियंका पुत्री रणवीर

22 मनेष पुत्र रणवीर

23 मनेषा पुत्री रणवीर

24 रामप्यारी पुत्री सोहनराम

25 सरोज पुत्री सोहनराम

26 विमला पुत्री सोहनराम

27 सुभिता पुत्री सोहनराम

28 मूंगी देवी पत्नी सोहनराम

समस्त जाति जाट निवासी पोषाणा हाल निवासी टोड़ी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

29 आईडीबीआई बैंक शाखा टोड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. जरिये प्रबंधक

30 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ प्राथमिक निर्णय व डिक्री बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
दावा उनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम बलवीर सिंह वगै दावा
बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 155/2019
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्उ अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 के विरुद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा वाके ग्राम पोषाणा पटवार हल्का पोषाणा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 210, 211, 212, 213, 251, 252, 253, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 कुल किता 19 कुल रकबा 14.89 हैक्टेयर स्वयं की खातेदारी काश्तकारी की पैतृक कृषि भूमि के बाबत दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त उनवानी दावा में बिना अपीलान्ट की सहमति के व बिना साक्ष्य व तनकीयात कायम किये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2021 को जारी की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में वादी में वाद पत्र की मद संख्या 3 में उक्त पैत्रिक कृषि भूमि में मुख्य सड़क उदयपुरवाटी से गुढा रोड़ पर लगता हुआ हक हिस्सा व ग्रामीण रोड़ पोषाणा से भोड़की रोड़ पर लगता हुआ अपना हक हिस्सा क्लेम किया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा बाद तनकीयात साक्ष्य प्रस्तुत कर स्वयं के हक हिस्से व कब्जे बाबत तथ्य प्रस्तुत किये जाते जिससे अपीलान्ट के कब्जे के संबंध में विवाद होने पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलान्ट के दावा को प्रमाणित करते। इस कारण वाद पत्र में बिना तनकीयात व बिना साक्ष्य लिये अपीलान्ट की बिना सहमति के विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर विधि व तथ्य की भूल कारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अजनबी क्रेता है जो अपीलान्ट के हक हिस्से की पैत्रिक कृषि भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे से अपीलान्ट को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर उतारू है। अपीलान्ट काश्तकार व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 11 व 18 राजनैतिक पहुंच रखते है तथा प्रशासनिक स्तर पर स्वयं का दबदबा दिखाकर मनचाहे रूप से निर्णय पारित करवाकर कीमती व इच्छित भूमि पर कब्जा कर लेते है। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रकरण में जवाब देही नहीं देकर वादी के द्वारा वाद पत्र में वर्णित मद संख्या 3 में वर्णित हक हिस्से व कब्जे बाबत कोई स्वीकृति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

व अस्वीकृति नहीं देकर बाला बाला रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के विरोधाभाषी व सहमति से अलग हटकर मनमर्जी से रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 11 व 18 को फायदा पहुंचाने के लिये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर विधि व तथ्य की भूल कारित की गई है। दावा में प्रतिवादी 12 की माह अक्टूबर 2020 में मृत्यु हो चुकी थी जिस बाबत पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसान को रिकॉर्ड पर नही लिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। दावें के प्रतिवादी संख्या 12 सुरेन्द्र सिह पुत्र श्री रामेश्वर की दौराने विचारण दावा मृत्यु हो चुकी है परन्तु दावें में उक्त प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसान रिकार्ड पर नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12/1 लगायत 12/3 प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसान है जिनको अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के ग्राम पोसाना पटवार हल्का पोसाना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 210, 211, 212, 213, 251, 252, 253, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 कुल किता 19 कुल रकबा 14. 8900 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका वादी, प्रतिवादीगण 4 लगायत 23 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर मौजूद प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 को बेचान कर दिया है। वादी, प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है जिसका निस्तारण तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर ही किया जाना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बंटवारा करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के ग्राम पोसाना पटवार हल्का पोसाना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 179, 180, 210, 211, 212, 213, 251, 252, 253, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 कुल किता 19 कुल रकबा 14.8900 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसका वादी, प्रतिवादीगण 4 लगायत 23 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर मौजूद प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 को बेचान कर दिया है। वादी, प्रतिवादीगण ने उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है जिसका निस्तारण तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर ही किया जाना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर